<u>दाण्डिक प्रकरण क्र–1292/2022</u>

<u>शासन विरूद्ध नीलकमल</u>

Witness No----**2**----for अभियोजन साक्षी Deposition taken the-**20.11.2024**--day of **बुधवार** Witness's apparent age—65 वर्ष States on affirnation- शपथपूर्वक my name is—जगतराम **बिंझवार–**Son/D/W of – श्री गेलाराम बिंझवार **--** occupation –कुछ नहीं-Add **----**ग्राम केराकछार चौकी पंतोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

....

<u>साक्ष्य प्रारंभ समय –04.10 बजे</u>

<u>मुख्य परीक्षण</u>

1– साक्षी को गिरफतारी पत्रक में चस्पित फोटो को दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी द्वारा आरोपी को पहचानना व्यक्त नहीं किया गया। प्रार्थी को जानता हूं वह मेरा बेटा है ।

2– घटना आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व सुबह लगभग 09.00 बजे ग्राम खारी नाकापारा मुख्य मार्ग की है । घटना दिनांक को मेरा बेटा घर से धान की बोरी लेकर अपने मोटरसायकल में धान को बेचने के लिए जा रहा था तब जैसे ही वह गतवा के चावल दुकान के पास पहुंचा कि खारी तरफ से चार पहिया वाहन का चालक अपने वाहन को तेजी से चलाते हुए आया और मेरे बेटे के मोटरसायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । उक्त एक्सीडेंट से मेरे बेटे के बांए पैर मे तीन जगह चोट आया था और हडडी टूट गया था और दांए पैर में भी चोट आया था । मौके पर उपस्थित 112 के माध्यम से मैं बलौदा अस्पताल गया था जहां प्रारंभिक ईलाज के बाद मेरे बेटे को बिलासपुर रिफर कर दिए थे । दुर्घटना की जानकारी मुझे मौके पर उपस्थित लोगो ने दी जहां से मैं सीधे अस्पताल गया । दुर्घटना करने वाला वाहन का चालक मुझे अस्पताल से बिलासपुर लेकर गया ।

3– उसके बाद मैं बिलासपुर से आकर चौकी पंतोरा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था ।

4– पुलिस वाले घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिए थे ।

<u>सूचक प्रश्न – सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री तुषार मिश्रा(प्रशिक्षु)</u>

5– यह कहना गलत है कि दुर्घटना कारित वाहन बोलेरो क्रमांक CG–12/BF/5111 का चालक अपने वाहन को बहुत लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और मेरे बेटे की दिशा में आकर ठोकर मार दिया था । यह कहना गलत है कि उक्त बातो का कथन पुलिस को दिया था । साक्षी को **प्र०पी० 1** के अ से अ भाग को पढकर सुनाए जाने पर उक्त भागो का कथन मेरे द्वारा पुलिस को नहीं दिया जाने का कथन किया गया है । उक्त बात मेरे नाम से लेखबद्ध हो तो कारण नहीं बता सकता ।

<u>प्रतिपरीक्षण श्री बृजमोहन यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

6– यह कहना सही है कि मैं मौके पर नहीं था इस कारण से पुलिस को कुछ नहीं बताया था । यह कहना सही है कि मुझे जानकारी नही है कि कैसे घटना घटी थी । यह कहना सही है कि मैं किसी को गाडी चलाते हुए नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि मेरे बेटे ने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है, स्वतः कहा कि बिलासपुर गया तो सीधे अस्पताल में लडके को देखा था।

<u>साक्ष्य समाप्त समय – 04.20 बजे</u>

साक्षी को वाचित, सही होना पाया।		मेरे निर्देशानुसार टंकित
सही/-	हस्ताक्षर गवाह	सही/-
(जितेन्द्र प्रधान) न्या०मजि०प्रथम श्रेणी अकलतरा जिला जांजगीर चांपा छ०ग०		(जितेन्द्र प्रधान) न्या०मजि०प्रथम श्रेणी अकलतरा जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

दाण्डिक प्रकरण क्र–1292/2022
शासन विरूद्ध नीलकमल

Witness No----**1**----for अभियोजन साक्षी Deposition taken the-**20.11.2024**--day of **बुधवार** Witness's apparent age—42 वर्ष States on affirnation- शपथपूर्वक my name is—**शिव कुमार बिंझवार–**Son/D/W of – श्री जगतराम बिंझवार **--** occupation –कुछ नहीं- Add **----**ग्राम केराकछार चौकी पंतोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

....

साक्ष्य प्रारंभ समय –03.55 बजे

मुख्य परीक्षण

1– साक्षी को गिरफतारी पत्रक में चस्पित फोटो को दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी द्वारा आरोपी को पहचानना व्यक्त नहीं किया गया।

2– घटना आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व सुबह लगभग 09.00 बजे ग्राम खारी नाकापारा मुख्य मार्ग की है । घटना दिनांक को मैं घर से धान की बोरी लेकर अपने मोटरसायकल में धान को बेचने के लिए जा रहा था तब जैसे ही मैं दुकान के पास पहुंचा कि खारी तरफ से चार पहिया वाहन का चालक अपने वाहन को तेजी से चलाते हुए आया और मेरे मोटरसायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । उक्त एक्सीडेंट से मेरे बांए पैर मे तीन जगह चोट आया था और हडडी टूट गया था और दांए पैर में भी चोट आया था । दुर्घटना कारित वाहन का चालक दुर्घटना करने के बाद वहां से भाग गया था । मौके पर उपस्थित 112 के माध्यम से मैं बलौदा अस्पताल गया था जहां प्रारंभिक ईलाज के बाद मुझे बिलासपुर रिफर कर दिए थे । दुर्घटना कारित का नंबर आज मुझे याद नहीं है किंतु घटना दिनांक को नंबर देखा था ।

3– पुलिस वाले घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिए थे ।

सूचक प्रश्न – सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री तुषार मिश्रा(प्रशिक्षु)

4– यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन बोलेरा का नंबर CG–12/BF/5111 है । यह कहना सही है कि उक्त वाहन का चालक अपने वाहन को बहुत लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया

और मेरी दिशा में आकर ठोकर मार दिया था । यह कहना सही है कि मैं अपने वाहन को सही दिशा में वाहन को चला रहा था तब आरोपी मेरे दिशा में आकर वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण श्री बृजमोहन यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

5– यह कहना सही है कि मैं एक्सीडेंट होने के बाद बेहोश हो गया था । यह कहना सही है कि मैं पुलिस को बयान देते समय गाडी का नंबर नहीं बताया था । यह कहना सही है कि मुझे आज दिनांक तक गाडी का नंबर याद नहीं है । यह कहना सही है कि मैं अस्पताल से आने के बाद गाडी को नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि मैं बेहोश हो गया था इसलिए गाडी का नंबर नहीं देखा था, स्वतः कहा कि पुलिस वाले गाडी को रूकवाए थे ।

6– यह कहना गलत है कि जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर बहुत सारी गाडिया चलती है, स्वतः कहा कि दुर्घटना स्थल टर्निंग पाईंट है । मैं पुलिस वाले को बयान जब अस्पताल में भर्ती था तब दिया था । यह कहना सही है कि मैं किस तारीख को पुलिस को बयान दिया था उसका दिनांक आज नहीं जानता हूं । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरे बयान में क्या क्या लिखे थे मैं नहीं जानता हूं । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरे बयान को पढकर नहीं सुनाए थे । यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन को कौन चला रहा था मैं नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि मैं क्लेम प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट किया था ।

<u>साक्ष्य समाप्त समय – 04.10 बजे</u>

साक्षी को वाचित, सही होना पाया।

सही/-

(जितेन्द्र प्रधान)
न्या०मजि०प्रथम श्रेणी अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

हस्ताक्षर गवाह

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/-

(जितेन्द्र प्रधान)
न्या०मजि०प्रथम श्रेणी अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०